

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

श्री राजतिलक पाराशर पुत्र श्री देवेन्द्र
कुमार निवासी थानागाजी जिला-
अलवर।

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त
जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- 28.09.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 14.07.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 28.09.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1129 दिनांक 14.09.2020 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है, कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 14.07.20 में अंकित वाँछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अलवर के द्वारा पत्रांक 1026 दिनांक 27.08.20 एवं पत्रांक 1129 दिनांक 27.09.20 से अपीलार्थी को जरिये तहसीलदार थानागाजी (अलवर) के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जा चुका है। अतः अपील निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम सुनिश्चित करें।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

(आनन्दी)

जिला कलेक्टर, अलवर